BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION
DEPARTMENTAL EXAMINATION
FOR IAS/HAS OFFICERS

October, 2012

Paper 2: (Criminal Case)

Time allowed – Three hours Maximum marks – 100

Note: (1) Attempt both the questions.
(2) Questions carry the marks indicated against them.

Q.1(a) On the telephonic information received from ASI Rajinder Kumar, report no.14 was recorded in the daily report (A-1) on which FIR No. 311/2001 was registered and after investigation of the case (A-2 to A-9) was conducted, ~~and~~ the challan (A-10) was presented in court. Notice of accusation is required to be given to the accused. Please frame notice of accusation against the accused on the basis of the investigation and the challan. (10 marks)

(b) Accused pleaded not guilty to the notice of accusation and he was tried by Ld. Judicial Magistrate. The prosecution examined six witnesses in support of the case (A-11 to A-16). Please record statement of the accused under section 313 Cr.P.C. (10 marks)

(c) The accused pleaded not guilty in his statement under section 313 Cr.P.C. and did not lead any defence evidence. Write a reasoned judgment on the basis of the evidence and material on record. (30 marks)

Q.2 (a) On the basis of the statement of applicant Hima Ram Sharma (B-1), the enquiry was conducted by the police and then police presented kalandra under sections 107 and 150 Cr.P.C. against Roshan Lal (B-2) before S.D.M. Shimla on the basis of the statements of witnesses (B-3 to B-9). On the basis of the aforesaid record, draw notice under section 111 Cr.P.C. against Roshan Lal. (15 marks)

(b) On the basis of the above record of the police, Ld.SDM issued notice under section 111 Cr.P.C. to Roshan Lal who did not admit the substance of the notice, Thereafter Ld.SDM recorded the statement on oath of Hima Ram (B-10) and stopped the enquiry. Write a detailed order with reasons supported by facts on record on the basis of which Ld. SDM thought it proper to drop the proceedings at this stage of enquiry. (25 marks)

(c) Whether there is any statutory period during which the enquiry is to be completed by the Executive Magistrate in cases under sections 107/150 Cr.P.C? If so what is the statutory period and whether period can be extended? If so under which circumstances? (10 marks)

पुलिस चौकी जतोग थाना बालूगंज, शिमला

नकल रपट न. 14 रोजनामचा दिनांक 20.12.2001

क्रमं	नाम इत्तलाह दहिंदा	किस्म रिपोर्ट	तिथि	खुलासा रिपोर्ट
14	एएसआई राजेन्द्र कुमार	इत्तलाह आमदा दूरभाष व रवानगी खुदमय सी/1 मय एमसी	20.12.2001	समय 6.10 बजे शाम दर्ज है कि इस समय श्री विजय कुमार बिंद उप-निरिक्षक सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला ने बजरिया दूरभाष चौकी हजा पर इत्तलाह दी कि हल्टी में स्कूटर का accident हुआ है मौका पर पुलिस भेजें इसी आमदा इत्तलाह पर मय हैड कॉन्स्टेबल मय आ. संजीव न. 602 मय एमसी सवारी के बारे तस्दीक हालात मौका मुकाम हल्टी को रवाना होता हूँ ।

श्रीमान जी,

नकल मुताबिक असल है ।

हस्ता/-
लेडी कॉन्स्टेबल शान्ता, न. 1479
Police Post Jutogh
P.S. West
Dated 22.12.2001

A-2

थाना वेस्टएंड | जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001 u/s 279, 337/338 IPC, PS West Shimla

ग्राम मुकदमा सरकार बनाम विजय कुमार पिता स्व. श्री अमर चन्द, जाति हिन्दू, मकान नं. 125 काली बाड़ी, नई दिल्ली, हाल उप-निरीक्षक सीआईएसएफ एयरपोर्ट शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

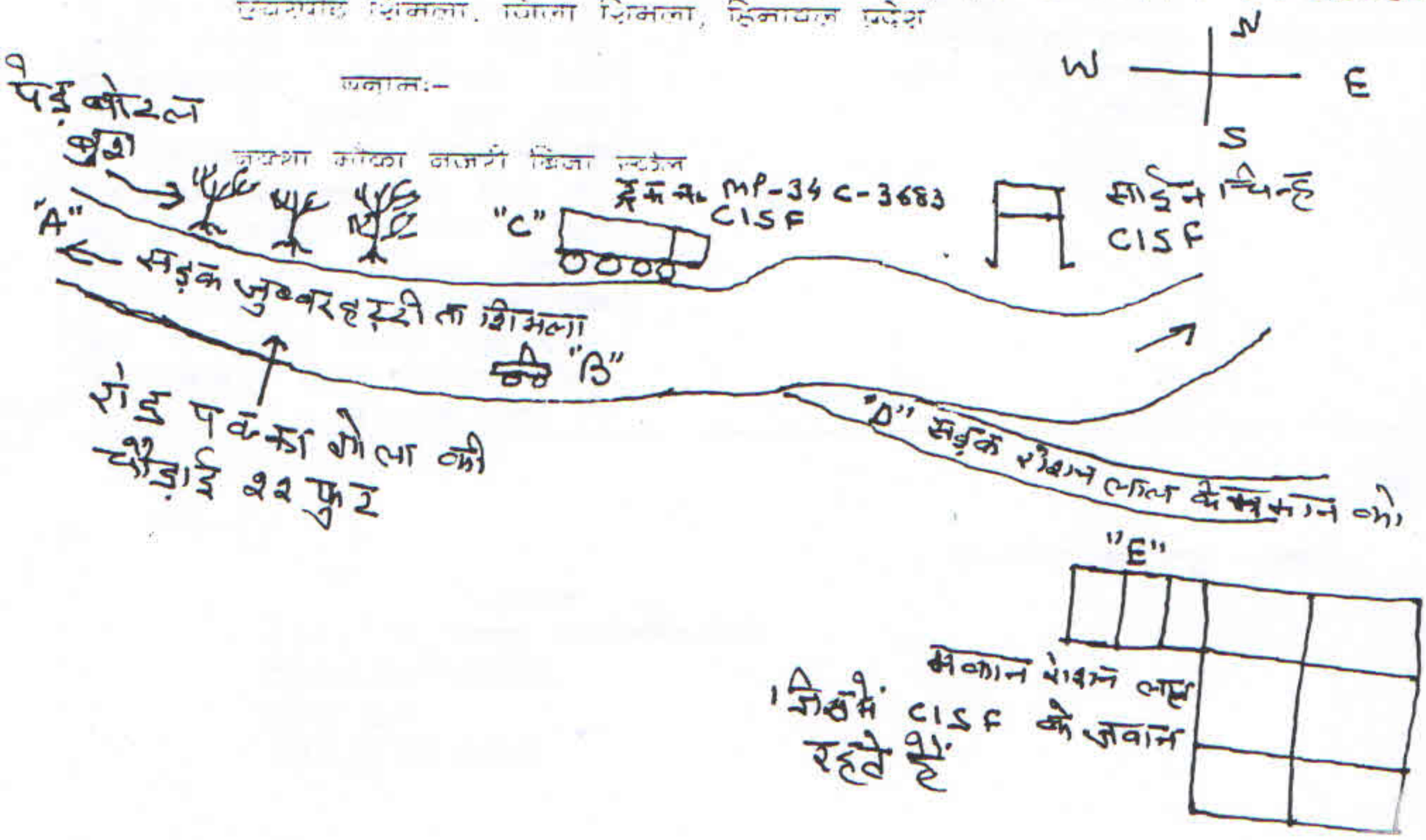

मौकाई नक्शा

1. नक्शा में मार्क "ए" सड़क रोहड़ा जुब्बरहट्टी ता शिमला को जाती है ।
2. नक्शा में मार्क "बी" सड़क रोहड़ा जुब्बरहट्टी तथा शिमला को व मुकाम हल्टी जहां पर स्कूटर एचआई-1137 दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़ा है को दर्शाता है ।
3. नक्शा में मार्क "सी" जहां पर सीआईएसएफ का एक लाल-34सी-3683 सड़क के किनारे खड़ा है और इस के साथ दुर्घटना के समय वाली मुकदमा श्री विजय कुमार पिता व आरक्षक केसराम खड़े थे को दर्शाता है ।
4. नक्शा में मार्क "डी" सड़क को रोशनलाल के मकान को जाती है को दर्शाता है ।
5. नक्शा में मार्क "ई" मकान रोशन लाल जिसमें सीआईएसएफ कर्मी रहते हैं को दर्शाता है ।

SD/-ASI
I/C PP Jutogh
PS West Shimla
21.12.2001

A-3

थाना बालूगंज जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001 U/S 279, 337 IPC P.S. West Shimla.

ध्यान अजाने श्री धर्मप्रकाश वर्मा पुत्र श्री जीत राम वर्मा गांव व डाकघर ग्रोतेरी, थाना ऊटी, जिला शिमला हि.प्र., हाल आरक्षक न 0544900304 सी.आई.एस.एफ एयर पोर्ट शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश u/s 161 Cr.P.C.

ध्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ तथा आजकल सी.आई.एस.एफ एयर पोर्ट इकाई शिमला में कार्यरत हूँ आज मैं मुकदमा हजा की तफतीश में पुलिस के साथ शामिल रहा हूँ। पुलिस ने घटनास्थल व दुर्घटना ग्रस्त स्कूटर न. एचआर-1187 के फोटोग्राफ लिये। और घटनास्थल का मुलाहजा कराके नक्शा मौका नजरी तैयार किया। तथा घटनास्थल पर पड़े स्कूटर न. एचआई-1187 जो बजरिया फर्द बतौर सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया और श्री सही राम सपुत्र श्री रामचन्द गांव शाजलु पो.ओ जाठिया देवी थाना बालुगंज ने दुर्घटना-ग्रस्त स्कूटर न. एचआई - 1187 के दस्तावेज RC valid upto 2003 व insurance पेश पुलिस की। पेशकर्ता दस्तावेज को आपने बजरीया फर्द बतौर बजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। फर्द मौका पर तैयार की गई फर्द पर पेशकर्ता सही राम व बतौर गवाह मैंने व श्री हेमराज ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। ध्यान पढ़ लिया जो ठीक है।

Sd/-
I/C Jutogh,
PC West Shimla
21.12.2001

A-4

थाना बालुगंज जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001 U/S 279, 337/338 IPC, P.S. West Shimla.

तसीमा ब्यान अजाने श्री विजय कुमार बिन्द सपुत्र श्री बच्चा राम जात बिन्द, मकान न. 125 देवली गांव, नई दिल्ली, हाल उप-निरीक्षक न. 6c334003I फेक्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, एयर पोर्ट शिमला, जिला शिमला हि.प्र.

ताइद ब्यान एफआईआर करते हुये मजीद बतलाया कि आज मैं मुकदमा हजा की तफतीश में पुलिस के साथ शामिल रहा हूँ । आज पुलिस ने मेरी निशान देही पर मौका के फोटोग्राफ अपने कैमरा से लिये और मुलाहजा मौका करे मयशा मौका मजरी तैयार किया । बयान पढ़ लिया जो सही है ।

Sd/-
I/C Jutogh,
PC West Shimla
21.12.2001

थाना बालुगंज जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001 U/S 279, 337/338 IPC, P.S. West Shimla.

ब्यान अजाने श्री श्रीराम सपुत्र श्री बाला राम, जात राजपूत, गांव बलना, डाकघर जाडीया देवी थाना, बालुगंज जिला शिमला हि.प्र. व उम्र 31 वर्ष, हाल स्कूटर मकैनिक ठाकुर आटो स्कूटर रिपेयर, तपी बेरियर, जिला शिमला, हि.प्र. व उम्र 31 वर्ष u/s 161 Cr.P.C.

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ । आज मैं मुकदमा हजा की तफतीश में पुलिस के साथ शामिल रहा हूँ । तथा पुलिस के कहने पर मैंने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर न. एचआईए-1187 का मकैनिक मुलाहजा व मुकाम हल्टी में घटना स्थल पर किया । तथा मेरी राय में दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर के सभी सीस्टम दुर्घटना से पहले सही काम करते पाये गये हैं तथा जो स्कूटर का नुकसान हुआ है वह दुर्घटना होने के कारण ही हुआ है । मैंने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर न. एचआईए-1187 की मकैनिकल रिपोर्ट पुलिस को मौका पर दे दी है, जो मेरी कलमी व दस्तखती है । ब्यान पढ़ लिया जो ठीक है ।

Sd/-
I/C Jutogh,
PC West Shimla
21.12.2001

A-5

थाना आलुगंज जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001 U/S 279, 337 IPC P.S. West Shimla.

ब्यान अजाने श्री हेम राज सपुत्र श्री रब्बु राम गांव गोखड़ थाना सदर गण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश हाल आरक्षक नं0 844502942 सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला जिला शिमल हिमाचल प्रदेश U/S 161 Cr.P.C.

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ तथा आज मैं मुकदमा हजा की तफ्तीश में पुलिस के साथ शामल रहा हूँ । दिनांक 20.12.2001 को समय करीब 5.50 बजे शाम मैं व श्री विजय कुमार बिन्द उप-निरीक्षक सीआईएसएफ व मुकाम हलटी सड़क रविन्द्रा शिमला ता. जुब्बड़ हट्टी पर अपनी गाड़ी ट्रक न. एमपी 34सी 3683 के साथ जो सड़क के किनारे खड़ा था के पास खड़े थे और उसी समय सीआईएसएफ का एक जवान प्रधान आरक्षक श्री एस.पी. बहुगुणा अपना निजि सामान लेने के लिए दुकान में सड़क के किनारे अपनी साईड में जा रहा था और उसी समय एक स्कूटर चालक बड़ी तेज रफ्तारी से स्कूटर को चलाता हुआ शिमला की तरफ से जुब्बड़ हट्टी की तरफ जा रहा था तथा स्कूटर पर एक और व्यक्ति भी साथ में बैठा था और स्कूटर चालक ने अपना स्कूटर चालक ने तेज रफ्तारी से प्रधान आरक्षक श्री एस.पी. बहुगुणा के साथ टकरा दिया । और स्कूटर टकराने से एस.पी.बहुगुणा सड़क में गिर गया । स्कूटर सवार व स्कूटर पर पीछे बैठा व्यक्ति भी सड़क पर गिर गये । और स्कूटर दुर्घटना में एस.पी.बहुगुणा व स्कूटर पर पीछे बैठे व्यक्ति को काफी चोटें आई । जिन्हें बाद इलाज सीएचसी सोलन ले गये थे तथा बाद में मैंने स्कूटर नम्बर पढ़ा तो स्कूटर का नम्बर एचआईए-1187 था और स्कूटर के चालक का नाम सही राम व स्कूटर पर पीछे बैठे हुए व्यक्ति का नाम अनिल मेहता मालूम हुआ है । यह दुर्घटना स्कूटर चालक सही राम की तेज रफ्तारी, गफलत व लापरवाही के कारण हुई है । आज पुलिस ने घटना स्थल के फोटोग्राफ लिए और मुलाहजा मौका करके नक्शा मौका नजरी तैयार किया । तथा आज दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर को बतौर वजह सबूत बजरीया फर्द कब्जा पुलिस ने लिया और श्री सही राम ने स्कूटर न. एचआईए-1187 के कागजात RC Valid upto 2003, DIL Valid upto 2003 व Insurance पेश पुलिस की पेश कर्ता कागजात को पुलिस ने बजरिया फर्द बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया फर्द मौका पर तैयार की गई फर्द पर बतौर पेश कर्ता सही राम व बतौर गवाह मैंने व धर्मप्रकाश वर्मा ने अपने अपने हस्ताक्षर किये । ब्यान पढ़ लिया जो सही है ।

Sd/-
I/C Jutogh,
PC West Shimla
21.12.2001

A-6

थाना बालूगंज जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001, U/S 279, 337, 338 IPC & 185 MV Act P.S. West Shimla.

ब्यान अजाने श्री शिव प्रसाद बहुगुणा सपुत्र स्वर्गीय श्री मनहोर लाल बहुगुणा गांव सुरिधार साबली, डाकघर रानी चौरी, थाना जागणी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल हाल प्रधान आरक्षक न. 751320279, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, एयर पोर्ट शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. व उम्र 45 वर्ष u/s 161 Cr.P.C.

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ । और सीआईएसएफ एयर पोर्ट, इकाई शिमला में बतौर प्रधान आरक्षक कार्यरत हूँ । आज मैं मुकदमा हजा की तफतीश में पुलिस के साथ शामिल रहा हूँ । दिनांक 20.12.2001 को समय करीब 5.50 बजे शाम मैं निजि सामान लेने के लिए जुब्बड़हट्टी की तरफ सड़क पर अपनी साईड में जा रहा था, और उस समय श्री विजय कुमार बिन्द, उप-निरीक्षक व आरक्षक हेम राज सीआईएसएफ सड़क के किनारे खड़े थे और मैं सीधा सड़क पर अपनी साईड से जा रहा था और पिछे से यानी शिमला की तरफ से एक स्कूटर सवार तेजी से आया और उसने हार्न भी नहीं बजाया और पिछे से मुझे स्कूटर की टक्कर मार दी और मैं सड़क पर गिर गया और मेरे दो दान्त टूट गये तथा मुंह व बाजू में काफी चोटें आई । और स्कूटर सवार दोनो भी जमीन सड़क पर गिर गये जिन्हें भी चोटे आई । और बाद में मैंने स्कूटर का नम्बर पढ़ा जो स्कूटर का नम्बर एचआईए-1187 था तथा स्कूटर के मुसमी सही राम नामक व्यक्ति चला रहा था तथा स्कूटर के पिछे श्री अनिल मैहता नामक व्यक्ति बैठा था उसके बाद मुझे सीएचसी सायरी बाये इलाज ले गये थे । और उसके बाद सीएचसी सायरी से एम.ओ. साहब ने मुझे आईजीएमसी शिमला रैफर कर दिया था । यह दुर्घटना स्कूटर चालक सही राम की तेज रफतारी, गाफलत व लापरवाही के कारण हुई है । ब्यान पढ़ लिया जो ठीक है ।

Sd/-
I/C Jutogh,
PC West Shimla
21.12.2001

A-7

जिला शिमला

थाना बालूगंज

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001, U/S 279, 337, 338, 323 IPC, P.S. West Shimla.

ब्यान अजाने श्री अनिल मैहता सपुत्र स्वर्गीय श्री डी.एस.मैहता गांव सिलिबागी, डाकघर जाठिया देवी, थाना बालूगंज, जिला शिमला हि.प्र. u/s 161 Cr.P.C.

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ और ए.जी. कार्यालय शिमला में बतौर सिनियर आडिटर कार्यरत हूँ । आज मैं मुकदमा हजा की तफतीश में पुलिस के साथ शामिल रहा हूँ । दिनांक 20.12.2001 को मैं अपने ससुराल जा रहा था और बस निकलने वाली थी और मैं श्री सही राम के स्कूटर न. एचआईए-1187 के ऊपर जा रहा था और जब सही राम स्कूटर को चलाता हुआ हल्टी के पास पहुंचा तो समय करीब 5.50 बजे शाम मुसमी सही राम ने अपने स्कूटर की टककर सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को मार दी और वह व्यक्ति स्कूटर की टककर से सड़क पर गिर गया और उसके मुंह व अन्य शरीर के भागों में चोटें आई । और स्कूटर भी सड़क पर गिर गया और स्कूटर एचआईए-1187 के गिरने से मुझे व सही राज को भी चोटें आई । यह दुर्घटना स्कूटर चालक श्री सही राम की

A-8

तेजरफ्तारी के कारण हुई है । सड़क पर जा रहे व्यक्ति को जिसको स्कूटर की टक्कर लगी उसका नाम बाद में एस.पी.बहुगुणा मालूम हुआ जो सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला में नौकरी करता है । बयान सुन लिया है जो ठीक है ।

Sd/-
I/C Jutogh,
PC West Shimla
21.12.2001

मैकेनिकल रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर न एचआईए-1187

आज दिनांक 21.12.2001 को मैंने घटनास्थल मुकाम हल्दी में सड़क पर पड़े स्कूटर न. एचआईए-1187 का मैकेनिकल मुलाजा किया ।

1. स्कूटर एचआईए-1187 की बेक सही काम करती पाई गई ।
2. दुर्घटना से पहले स्कूटर एचआईए-1187 के गेयर क्लच, हैंड ब्रेक सही थे ।

निष्कर्ष

मेरी राय में स्कूटर एचआईए-1187 के सभी सिस्टम दुर्घटना से पहले सही काम करते पाये गये । मगर दुर्घटना होने पर स्कूटर का हैंडल की दोनों साईडों के लीवर, हैड लाइटें, असैम्बली साईड बिडिंग टुटी पाई गई ।

Sh. Ram Thakur
Totu, Tawi Motor, Shimla

Shri Ram Thakur
Village Bagon, PO Jathia Devi,
Distt. Shimla (HP)
21.12.2001

A-9

थाना बालूगंज जिला शिमला

Case FIR No. 311/2001 dated 20.12.2001 u/s 279, 337/338, IPC, PS West Shimla

व मुकदमा सरकार बजरिया -- श्री विजय कुमार बिन्द सपुत्र श्री बच्चा राम, जात बिन्द, मकान न. 125, सैयली गांव, नई दिल्ली-63, थाना गतनगिरी, नई दिल्ली हाल उप-निरीक्षक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई एयर पोर्ट शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

फर्द मालगुजरी दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर न0 एचआईए-1187 व पेश कर्ता कागजात स्कूटर

[illegible] मुकाम हल्टी [illegible] स्कूटर न0 एचआईए-1187 को बतौर बजह सबूत बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में लिया गया, तथा मुसमी सही राम सपुत्र श्री राम चन्द, गांव व डाकघर जाठिया देवी, थाना बालूगंज, जिला शिमला के स्कूटर न0 एचआईए 1187 निम्नलिखित कागजात पेश पुलिस किये जो पेशकर्ता निम्न दस्तावेजों को भी बजरिया फर्द बतौर बजह सबूत कब्जा पुलिस में लिये गये । फर्द मौका पर पुख्त की गई । फर्द पर बतौर पेशकर्ता सही राम व गवाहों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये ।

1 आर सी स्कूटर न. एचआईए - 1187 जो 2003 तक वेलिड है ।
2. डी एल सही राम जो 14.12.2004 तक वेलिड है ।
3. आई सी 20.11.2001 तक वेलिड

पेशकर्ता
सही राम

शुद्धगवाह
श्री हेमराज सपुत्र श्री रघु राम
गांव गोखड़, थाना सदर मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
हाल आरक्षी न. 844502942
सीआईएसएफ, एयर पोर्ट
शिमला, जिला शिमला ।

शुद्धगवाह
श्री धर्मप्रकाश वर्मा सपुत्र श्री जीत राम वर्मा
गांव व डाकघर गडेरी, थाना कल्ली,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
हाल आरक्षी न. 85449080
सीआईएसएफ, एयर पोर्ट
शिमला, जिला शिमला

A-10

L.I. FORM No. 25.27 (2)
FINAL FORM/ REPORT
(Under Section 173 Cr.P.C.)

IN THE COURT of

1. Distt. Shimla PS Baleaugonj Year 2001 FIR No. 311/2001 Dated 20.12.2001
2. Final Report/Charge Sheet No. one 3. Dated.....
4. (i) Act u/s 185 M.V. Act. Sections 279, 337,338 IPC & 185 MV Act.
   (ii) Act. ..... Section .....
   (iii) Act. . ..... Section.....
   (iv) other Acts & Section.....
5. Type of Final Form/Report: Charge Sheet Not charge sheeted for want of evidence/FRT Undetected/ FRT Untraced/FRT offence abated/FR Unoccured....Charge Sheeted.

6. If F.R.Unoccured : False/Mistake of Facts/Mistake of Law/Non-congnizable Civil Nature.....
7. If Charge sheet.....
   Original/Supplementary.... Original
8. Name of the I.O. Rajinder Kumar Rank ASI I/C PP Jutogh
9. (a) Name of complainant/informant Sh. Vijay Kumar Bind
   (b) Father's/Husband's name : Sh. Bachha Ram
10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigations and relied upon (separate list can be attached, if necessary).

Sl. No.	Property Descriptions	Estimated Value (in Rs.)	P.S. Property Register No.	From whom where recovered of seized	Disposal
----------As per Seizer Memo---------					

11. Particulars of accused persons charge-sheeted:
(use separate sheet for each acused).

Sr. No. .(i) name Sahi Ram Whether verified Yes
(ii) Father's/Husband's name Sh. Ram Chand
(iii) Date/year of birth 25 years
(iv) Sex : Male (v) Nationality : Indian
(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of issue.....
(vii) Religion... Hindu (viii) Whether SC/ST.....
(ix) Occupation : Tailor Master
(x) Address R/o Shandelu PO Jathia Devi, PS Boileauganj, Distt. Shimla (HP)
   Whether verified : Yes
(xi) Provisional Criminal No....
(xii) Regular Criminal No.....
   (if known)

(xiii) Date of Arrest : 21.12.2001
(xiv) Date of release on bail: 21.12.2001
(xv) Date on which forwarded to court.....
(xvi) Under Acts and Sections u/s 279, 337, 338 IPC 185 MV Act.
(xvii) Name(s) of bailers/Surities and Address(es) Sh. Rameshwar Singh S/o Sh. Ram Chand, Caste Rajpute, R/O Shandlu, PO Jathia Devi, P.S. West Shimla, District Shimla.
(xviii) Previous convictions with case references:

.....

(xix) Status of the accused:
Forwarded/Bailed by-Police/Bailed by Court/in judicial custody/absconding/proclaimed offender.....

12. Particulars of accused persons not charge-sheeted(suspected):
(separate sheet for each suspect)

Sr. No. (i) Name Whether verified.....
(ii) Father's/Husband's Name.....
(iii) Date of birth.....
(iv) Sex..... (v) Nationality.....
(vi) Passport No..... Date of Issue.....Place of issue.....
(vii) Religion..... (viii) Whether SC/ST.....
(ix) Occupation..... (x) Address.....whether verified....
(xi) Provisional Criminal No.....(xii) Suspicion Approved Yes/No
(xiii) Status of the accused:
Bailed by police/Bailed by Court/in judicial custody/absconding/ Proclaimed offender/ Not arrested.....
(xiv) Under Acts & Section.....
(xv) Any special remarks including reasons for not charge-sheeting:

13. Particulars of witnesses to be examined:

Sl. No.	Name	Father's/Husband's Name	Date/Year of birth	Occupation	Address	Type of evidence to be tendered
1.	श्री विजय कुमार बिन्द सपुत्र श्री बच्चा राम, जात बिन्द, मकान न. 125, देवली गांव जड़ दिल्ली-63, थाना मदनगीरी, जड़ दिल्ली, हाल उप-निरीक्षक सीआईएसएफ, एयर पोर्ट, शिमला, हिमाचल प्रदेश					
2.	श्री हेम राज सपुत्र श्री रब्बु राम, गांव गोखड़, थाना सदर मण्डी, जिला मण्डी हाल आरक्षक न. 844502942, सीआईएसएफ, एयर पोर्ट , शिमला, जिला शिमला ।					
3-	श्री धर्म प्रकाश वर्मा सपुत्र श्री जीत राम वर्मा, गांव व डाकघर गढेरी, थाना ढल्ली, जिला शिमला, हाल आरक्षक न. 854490804, सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।					
4-	श्री श्रीराम सपुत्र श्री बाला राम, जात राजपूत, गांव बल्दना, डाकघर जाठिया देवी, थाना बालूगंज, जिला शिमला, हाल स्कूटर मकैनिक, ठाकुर आटो स्कूटर रिपोयर, तवी बेरियर, जिला शिमल, हिमाचल प्रदेश ।					
5-	श्री शिव प्रसाद बहुगुणा सपुत्र स्वर्गी श्री मनोहर लाल बहुगुणा, गांव सुरीधार (गावली), डाकघर रानी चौरी, थाना नागणी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरा आचंल, हाल प्रधान आरक्षक न. 751320279, सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।					
6-	श्री अनिल मैहता सपुत्र स्वर्गीय श्री डी.एस.मैहता, गांव सिलीबागी, डाकघर जाठिया देवी, थाना बालुगंज, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।					

7-	डा. शिवानी महाजन, एम.ओ., सीएचसी सायरी, थाना कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मय एमएलसी न. 10/01, 11/01 व 12/01 दिनांक 20.12.2001
8-	डा. अश्वनी कुमार एम.ओ., रेडियोलॉजिस्ट, आईजीएमसी, शिमला, जिला शिमला, हि.प्र.
9-	डा. भरत राज रावत, सहायक निदेशक, एफएसएल जुन्गा, जिला शिमला, हि.प्र.
10-	डा. विजय सिंह जामवाल, वैज्ञानिक अधिकारी, एफएसएल, जुन्गा, जिला शिमला,हिप्र.
11-	एचसी जोगेन्द्र सिंह न. 1088 एमएचसी थाना बालुगंज, जिला शिमला, हि.प्र.
12-	एल.सी. शान्ता देवी, महिला आरक्षक न. 1479, एमसी पुलिस चौकी, जतोग, थाना बालुगंज, जिला शिमला, मय असल रोजनामचा रपट न. 14 दिनांक 20.12.2001
13-	आ. नरेन्द्र कुमार, न. 985 पुलिस थाना बालुगंज, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
14-	एएसआई राजेन्द्र कुमार, प्रभारी पुलिस चौकी जतोग, थाना बालुगंज, जिला शिमला,हिप्र.
15-	इन्सपेक्टर/एसएचओ अशोक कुमार वर्मा, बालुगंज जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

14. If F.R. is false indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 IPC .....

15. Result of laboratory Analysis:_____

16. Brief facts of the Case (add separate sheet, if necessary):

श्रीमान जी,

संक्षिप्त हालात मुकदमा हजा इस प्रकार से है दिनांक 20.12.2001 को एएसआई राजेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी जतोग, मय आ. संजीव कुमार, न. 602 के बाये तसदीक हालत रपट न. 14 रोजनामचा दिनांक 20.12.2001 घटना-स्थल मुकाम हल्टी पर पहुंचा तो मौका पर श्री विजय कुमार बिन्द सपुत्र श्री बच्चा राम, जात बिन्द, गांव मकान न. 125 देवली गांव, नई दिल्ली, हाल उप-निरीक्षक, सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला जिला शिमला जे एएसआई राजेन्द्र कुमार के पास अपना ब्यान कलमबन्द करवाया कि यह उपरोक्त पते का रहने वाला है और सीआईएसएफ एयर पोर्ट शिमला में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत है दिनांक 20.12.2001 को समय करीब 5.50 बजे शाम यह व श्री हेमराज आरक्षक सड़क रविन्द्रा शिमला ता जुब्बड़हट्टी व मुकाम हल्टी सड़क के किनारे खड़ा था और इसका एक जवान प्रधान आरक्षक श्री एस.पी.बहुगुणा सामान लेने के लिए दुकान में सड़क पर अपनी साइड में जा रहा था और उसी समय एक स्कूटर चालक बड़ी तेजरफ्तार से स्कूटर को चलाता हुआ शिमला की तरफ से जुब्बड़हट्टी की तरफ जा रहा था तथा स्कूटर पर एक और व्यक्ति भी साथ में बैठा था और स्कूटर चालक ने अपना स्कूटर तेज रफ्तारी से प्रधान आरक्षक श्री एस.पी.बहुगुणा के साथ टकरा दिया और स्कूटर टकराने से एसपी बहुगुणा सड़क पर गिर गया और स्कूटर चालक व स्कूटर पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी काफी चोटे आई जिन्हें बाये इलाज सीएचसी सायरी ले गये हैं तथा बाद में इसने स्कूटर का न पता तो स्कूटर का न एचआईए-1187 था तथा स्कूटर चालक का नाम सही राम व स्कूटर पर पीछे बैठे व्यक्ति का नाम अनिल मेहता मालूम हुआ था यह दुर्घटना स्कूटर चालक सही राम की तेज रफ्तारी, गफलत व लापरवाही के कारण हुई है । स्कूटर चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे । जो इसी थाना पर व जुर्म जेरधारा 279, 337 आईपीसी में मुकदमा दर्ज रजिस्टर थाना हुआ । मुकदमा हजा की तफ्तीश एएसआई राजेन्द्र कुमार ने बरस्ते मौका अमल में लाई । दौराने तफ्तीश मजरूब एसपी बहुगुणा, अनिल मेहता व दोषी सही राम का मैडीकल मुलाहजा सीएचसी सायरी में करवाया गया । तथा स्कूटर चालक सही राम का खून व पेशाब भी प्रीजरव करवाया गया तथा मजरूब एसपी बहुगुणा व अनिल मेहता के एमएलसी, एक्स-रे आईजीएमसी शिमला में करवा कर एम.ओ. साहब से फाइनल ओपिनियन प्राप्त की गई तथा मजरूब एस पी बहुगुणा को एम ओ साहब ने एम एल सी में चोटें grevious लगनी तहरीर की जिस पर मुकदमा हजा में जेरधारा 338 आईपीसी आईद की गई तथा एफ एस एल

जुन्गा से पीजीव किये गये ब्लड व पेशाब सेम्पल की रिपोर्ट प्राप्त की गई और एक्सपर्ट महोदय ने भेजे गये ब्लड व पेशाब के सेम्पल में शराब की मात्रा तहरीर करी है जिस पर मुकदमा हजा में धारा 185 एम वी एक्ट आईद की गई । ओर दौराने तफतीश दुर्घटना स्थल व दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर नम्बरी एचआईए-1187 के फोटोग्राफ लिये । मौका का मुलाहजा करके नक्शा मौका नजरी तैयार किया । दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर का मकैनिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई । दुर्घटना ग्रस्त स्कूटर का बजरीया फर्द बतौर बजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया और अदालत के आदेशानुसार स्कूटर को श्री सही राम को सपुरदारी पर रिलिज किया गया । ब्यानात गवाहान कलम बन्द किये गये । बजुआत गिरफ्तारी गुजरने पर दोषी सही राम को मुकदमा हजा में गिरफ्तार करके उसी समय पर जमानत पर मुचलका पर रिहा किया गया है । हालता मौका, फोटोग्राफ, नक्शा मौका नजरी, फर्द मकबुजगी व पेशकर्ता कागजात, ब्यानात गवाहान, एफ एस एल रिपोर्ट, एम एल सी व एक्स-रे रिपोर्ट व गिरफ्तारी दोषी सही राम से बजुआत चालानी गुजरने पर मुकदमा हजा का चालान व जुर्म जेरधारा 279, 337, 338 आईपीसी व 185 एम वी एक्ट में बर खिलाफ दोषी सही राम मुदर्ज खाना न. 11 व एतबार शहादत गवाहान खाना न. 13 मुरत्तब करके पेश अदालत है । अदालत से अनुरोध है कि दोषी को बजरिया नोटीस व गवाहन को बजरिया समन तलब करके मुकदमा हजा की समायत फरमाकर दोषी को कानूनी तदारूपण बख्शी जावे ।

हस्ता/-
प्रभारी
थाना बालुगंज जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश
9.4.2002

लफ्सील कागजात

1. चालान फार्म 2. नकल रपट न. 14 रोजनामचा दिनांक 20.12.2001
3 वर्क 1 वर्क
3. असल ब्यान 4. नक्शा मौका नजरी
1 वर्क 1 वर्क
5. फर्द मकबुजगी दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर न. एचआईए-1187 व पेशकर्ता कागजात
1 वर्क
6. फार्म मजरची एमएलसी, एक्स-रे 7. मकैनिकल रिपोर्ट
16 वर्क 1 वर्क
8. पत्र निदेशक के नाम व पत्र मय एक्सपर्ट रिपोर्ट
3 वर्क
9. ड्राइविंग लाईसेंस व आरसी स्कूटर एचआईए -1187
2 अदद
10. आदेश अदालत बावत रिलीज स्कूटर 11. जमानत मुचलका
1 वर्क 1 वर्क
12. सर्टीफिकेट शनाख्त 13. फोटोग्राफ मय नेगेटिव
1 वर्क न. 17
14. ब्यानात गवाहान 15 सजा तलीप
5 वर्क 1 वर्क

हस्ता/-
प्रभारी
थाना बालुगंज जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश, 9.4.2002

17. Refer Notice served Yes/No Date....
(Acknowledgement to be placed)

18. Despatched on.....

SD/-
Forwarded by Station House Officer/
Officer-in-charge

Name ASHOK KUMAR VERMA
Rank Inspecto/SHO, PS West Shimla

SD/-
Signature of the Investigation Officer submitting the final report/ Chargesheet.

Name : RAJINDER KUMAR
Rank: ASI I/C PP Jutogh

A-11

P.W.1 ब्यान श्री विजय कुमार सपुत्र श्री बच्चा रामए मकान न. 125 देवली गांव नई दिल्ली -63 थाना मदनगिरी ।

On oath
1.2.2003

[illegible]

ब्यान किया कि मैं सीआईएसएफ में विशाखापत्तनम में बतौर इन्सपेक्टर तैनात हूँ । साल 2001 में मैं शिमला जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में बतौर एस.आई सीआईएसएफ तैनात था । 20.12.2001 को समय करीब 5.50 बजे को मैं और आरक्षी हेमराज मुकाम हलटी सड़क के किनारे अपने ट्रक के पास खड़े थे तो शिमला की तरफ से एक स्कूटर आया जो तेज रफ्तार से आया, उस पर ड्राइवर के अलावा एक आदमी और बैठा था तो, चालक ने अपना स्कूटर एच.सी. एस.पी. बहुगुणा जो अपनी साईड यानी लेफ्ट साईड से सामान लेने दुकान पर जा रहा था को स्कूटर चालक ने पिछे से टक्कर मार दी, जिससे बहुगुणा सड़क पर गिर गया, और स्कूटर चालक व पिछे बैठा आदमी भी गिर गया । एस. पी. बहुगुणा और पिछे बैठे व्यक्ति जिसका नाम बाद में अनिल मैहता चला को काफी चोटे आई । इस पर हम मौका पर तुरन्त पहुंचे और घायलों को तुरन्त सायरी अस्पताल ले गये । स्कूटर का न. एचआईए-1187 और चालक का नाम सही राम मालुम हुआ दोषी हाजिर अदालत है जिसे मैं पहचानता हूँ, यह हादसा स्कूटर चालक दोषी की गलती व लापरवाही से हुआ, क्योंकि उसने स्कूटर को गलत साईड से तेज रफ्तारी चला कर एच सी को टक्कर मारी क्योंकि एचसी बिल्कुल सड़क के किनारे से चल रहा था । पुलिस मौका पर आई थी मेरा ब्यान Ext.पीडब्लयू 1/ए दर्ज किया जो अन्दर दायरा मेरा दस्तखती है । उसके बाद पुलिस ने मौका पर निशान देही कराई, फोटो लिए और मौका का मुलाजा किया, यह बाद अगले दिन की थी ।

X X X

मैं उस दिन क्वाटर मास्टर की ड्यूटी में तैनात था । मैं इसी सिलसिले में ट्रक के पास आया था और हम उस समय सामान उतारने आये थे, लेकिन सामान उतारा नही था और यह हादसा हो गया था । गाड़ी में उस वक्त कोई ड्राइवर या चौकीदार था मैं न बता सकता हूँ । गाड़ी का न. एम.पी. 346 3683 था । यह ठीक है कि स्कूटर अपनी बांयी साईड चल रहा था । मैं हादसा वाले वकुआ से 40 फिट की दूरी पर था । ट्रक सड़क की दायीं तरफ खड़ा था । यह ठीक है कि हादसा वाली सड़क साइड कच्ची है और बीच में पक्की है । अगर शिमला से जुबड़हट्टी की तरफ खड़े हो तो सीआईएसएफ का साइन बोर्ड सड़क की दांयी तरफ को लगेगा । यह ठीक है कि जहां हादसा हुआ, वहां मोड़ है । यह गलत है कि शिमला जुब्बड़हट्टी रोड पर हैवी ट्रैफिक रहता है । मैं ट्रक के पिछे राइट कॉरनर के पास खड़ा था । हम सामान उतारने की तैयारी में थे । मेरा अपने काम की तरफ ध्यान था । मेरा काम गाड़ी का सामान उतारना था । मैंने हादसा होने से पहले स्कूटर न देखा था स्कूटर की आवाज सुनी थी । स्कूटर तेज रफ्तार से आ रहा था । मुझे स्कूटर की रफ्तार का उसकी आवाज से पता लगाया, यह ठीक है कि सड़क पर स्कूटर साइड मार्क न थे यह गलत है कि जहां हादसा हुआ वहां रोड़ी उखड़ी हुई थी । पुलिस ने स्कूटर को हटाया होगा, मुझे पता न है । मैं मौका पर 10 मिन्ट हादसा के बाद रहा । उसके बाद मैं मौका पर कभी न आया । पुलिस वाले ने ब्यान मौका पर ही लिए । यह गलत है कि मेरे ब्यान पुलिस ने मेरे आफिस में लिए थे फिर कहा मेरे ब्यान मौका से 50 फिट की दूरी पर मेरे दफतर में लिए । यह गलत है मौका पर उस वक्त बहुत लोग खड़े थे । यह गलत है कि पुलिस मौका पर मेरे सामने न आई । पुलिस आधा घण्टा बाद मौका पर आई । यह ठीक है कि जब पुलिस मौका पर आई तो मैं दफतर में था । यह ठीक है कि बहुगुणा हमारा दफतर का मुलालिम है । यह गलत है कि वह शिमला की तरफ आ रहा था । यह गलत है कि वह दांयी ओर चल रहा था । यह गलत है कि वह एकदम स्कूटर के सामने से क्रास करने लगा

जिससे स्कूटर वाले ने ब्रेक लगाई और स्कूटर स्कीड कर गया । यह गलत है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के आदमी की फेवर में झूठी गवाही दे रहा हूँ ।

RO&AC
SD/-

SD/-
JM Ist. Class.

A-12

PW-2

ब्यान हेमराज सपुत्र श्री रंघुराम, गांव गोरवड़ा, थाना सदर मण्डी, तैहसिल व जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

On oath
1.2.2003

ब्यान किया कि 20.12.2001 समय 5.50 बजे शाम हल्टी सड़क जाठिया देवी से आगे एक सड़क हादसा हुआ । स्कूटर का न. एचआईए-1187 था । स्कूटर ने एस पी बहुगुणा को टक्कर मारी, और वह नीचे गिर गया था । स्कूटर शिमला से जुब्बड़हट्टी की तरफ जा रहा था । ये हादसा स्कूटर की तेज रफतार के कारण हुआ था । मैं व बी.के.बीन्दर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे । एस पी बहुगुणा जुब्बर हट्टी की तरफ अपनी जरूरत का सामान लेने जा रहा था । मौका पर पता चला कि स्कूटर साही राम चला रहा था, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति अनिल मैहता बैठा था । हादसा की आवाज सुनते ही हम मौका पर गये और एस पी बहुगुणा व चालक व अनिल मैहता को सांचरी अस्पताल ले गये थे । पुलिस मौका पर आई थी । पुलिस सीओ साहब ने बुलाई थी । पुलिस ने हमारे सामने स्कूटर को मय कागजात साही राम के पेश करने पर बजरिया फर्द Ext.पीडब्लयू 2/ए कब्जा पुलिस में लिया तथा मौका के फोटो खींचे थे, मौका का नक्शा बनाया था, दोषी हाजिर अदालत है ।

X X X

यह ठीक है कि जहां हादसा हुआ वह मोड़ है । यह गलत है जहां ट्रक खड़ा था वहां मोड़ न है ।। गाड़ी हमने खाली कर दी थी । मौका पर सड़क की रोड़ी न उखड़ी थी । यह गलत है कि मौका पर काफी गाड़ियां आ जा रही थी, यह ठीक है कि मौका पर काफी आर्मी के जवान थे । यह ठीक है कि दोषी स्कूटर बांयी तरफ चला रहा था यह गलत है कि मैंने एक्सिडेंट होते न देखा । यह गलत है कि एस पी बहुगुणा व और लोग हाथ पकड़कर सड़क पर चल रहे थे । यह गलत है कि मुस्तगीस शिमला की तरफ आ रहे थे । खुद कहा कि जुब्बड़हट्टी की तरफ जा रहे थे । जहां हम खड़े थे हादसा वाली जगह 30-40 फुट की दूरी है । जब हादसा हुआ तो हम (मैं व बिन्दर) आपस में बातचीत कर रहे थे । हादसा के वक्त दोषी स्कूटर को तेज रफतार से चला रहा था, कितनी स्पीड थी मैं न बता सकता हूँ । मैं नहीं बता सकता हूँ कि दोषी के स्कूटर की स्पीड 10-15 कि.मी. थी । मैं मौका पर कितनी देर तक रहा सही समय न बता सकता हूँ । मैं मुस्तगीस को अस्पताल भेजने के बाद मौका से गये । मैं व गवाह बी.के.बिन्दल लाइन को साथ साथ गये थे । पुलिस को किसने सूचना दी, मैं न बता सकता हूँ । मौका पर पुलिस वाले आये थे । पुलिस वाले मौका पर एक ही दिन आये थे उसके बाद कभी न आये थे । फोटो ग्राफर मौका पर उसी दिन आया था । मेरा पुलिस ने मौका पर ब्यान लिखा था । मेरे सामने अन्य गवाहों के ब्यान हुए थे । यह गलत है कि एस.पी. बहुगुणा मेरे विभाग में मुलाजिम होने की वजह से झूठी गवाही दे रहा हूं । यह गलत है कि एस. पी. बहुगुणा अपनी गलत साइड से चल रहा था, जिस वजह से वह हडबडाया और सडक जल्दी से पार करने के चक्कर में वह गिर गया और उसे चोट आई, यह ठीक है कि सड़क पर स्कूटर के स्कीड मार्क न थे । यह गलत है

कि मैंने हादसा होते न देखा । यह भी गलत है कि हादसा दोषी की लापरवाही से न हुआ ।

RO&AC
SD/-

SD/-
JM Ist. Class.

A-13

PW 3 Statement of Shri Siri Ram S/o Bala Ram, r/o Village Bagnu, PO Jathi Devi, age 34 year.

On oath
28-7-2003

ब्यान किया कि मैं मकैनिक का काम 10-12 सालों से करता हूँ । तकरिबन 1½ साल पहले कि बात है मैंने पुलिस के कहने पर एक हादसाशुदा स्कूटर न. एचआईए-1187 का मकैनिकल मुलायजा मौके पर किया । और अपना रिपोर्ट आई. ओ. को दिया जो एक्स. पीडब्लयू 3/ए है ।

X X X

जब मैंने स्कूटर का मकैनिकल मुलाजा किया तो उसकी बैक खराब (defective) खराब थी और हैंडल फ्री पाया गया । स्कूटर में वायर सिस्टम लूज होने से हैंडल फ्री हो जाता है । जिससे गाड़ी टरन नही कर सकती । जहां हादसा होना बताया गया है वहां अन्धा मोड़ था और सड़क कि बांए तरफ रोड़ी व रेत गिरा हुआ था । यह ठीक है कि इस केस में एक्सीडेंट मकैनिकल डिफैक्टस के कारण हो सकता है ।

RO&AC
SD/-

SD/-
JM Ist. Class.

A-14

PW-4

Statement of Shri Shiv Parsad, S/o Shri Manohar Lal r/o village Suri Dhar, Sawll, Teri Garhawal] Uttranchal] Age 47 years.

On S.A.
28-7-03

ब्यान किया कि मैं सीआईएसएफ एयर पोर्ट में कार्यरत हूँ । दिसम्बर 20.12.2001 को मैं शाम को करीब 5.50 बजे जुब्बड़हट्टी बाजार जा रहा था । मैंने देखा कि एक स्कूटर एचआईए-1187 आई और मुझे पिछे से धक्का दिया । धक्का देने से मैं गिर गया व मुझे चोट लगी । और मेरे दो दांत टूट गये, और मुंह में भी चोट आई । यह हादसा स्कूटर वाले कि लापरवाही के कारण हुई । स्कूटर में एक और आदमी था । दोषी हाजिर अदालत है । जिसे मैं पहचानता हूँ । जिसका नाम स्वाही राम है । मौके से हमारे आदमी पहले मुझे सीएचसी सायरी ले गये उसके बाद आईजीएमसी शिमला ले गये । हादसा के समय मेरे साथ हेमराज एक और सब इन्सपेक्टर थे । मैं उनके साथ जा रहा था । फिर कहा था वह लोग खेड़े थे मैं जा रहा था । एमएलसी मार्क ए के दायरा ए में मेरा आर टी आई है ।

X X X

हेमराज व सब इन्सपेक्टर तकरीबन 4 मीटर की दूरी पर गाड़ी के पास खड़े थे व गाड़ी से सामान उतर रहे थे । फिर कहां मुझे मालुम न है कि क्या कर रहे थे । यह गलत है कि उस समय अन्धेरा हो चुका था । और कुछ नजर नहीं आ रहा था । स्कूटर यह ठीक है कि स्कूटर अपनी बांए तरफ चल रहा था । यह ठीक है कि मैं स्कूटर कि क्या स्पीड थी न बता सकता हू । यह गलत है कि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां अच्छा मोड़ था । खुद वहां स्लाइट सा मोड़ था । मेरे सामने पुलिस वाले कभी मौका पर न आये । यह गलत है कि मौका पर बजरी व रेता गिरा हुआ था । यह गलत है कि मैं उस समय 2-3 आदमियों के साथ सड़क पर चल रहा था । यह गलत है कि स्कूटर वाले ने सड़क से हटने के लिये हॉर्न दिया जिससे मेरे साथी ने मुझे साइड पर होने के लिये धक्का दिया और उपरोक्त धक्के के कारण मैं गिर गया व चोटें आई । यह गलत है कि मुझे स्कूटर कहीं टच न हुआ । मेरी स्कूटर कि तरफ पीठ थी । यह ठीक है कि स्कूटर से स्ट्राइक होने के कारण मुझे बैक साईड में कोई चोट न आई । यह गलत है कि स्कूटर से मुझे कोई चोट न आई । यह ठीक है कि हादसा वाली जगह आम रोड़ है । यह गलत है कि उस समय काफी लोग जा रहे थे । खुद कहा नहीं दो आदमी खड़े थे । यह गलत है कि चोटें मुझे मेरे साथी द्वारा धक्का देने से लगी । और मैंने मुआवजा लेने के लिये झूठा केस बनाया । यह गलत है कि मैंने झूठा केस बनाया है ।

RO&AC
SD/-

SD/-
JM Ist. Class.

A-15

PW 5

Statement of Dr. Ashwani Kumar, Radiologist, KNH Shimla

On S.A.
29-7-2003

Stated that I was posted as Registrar radiologist from October, 1998 to April 2003 at IGMC Shimla on dated 20.12.2001 Sh. Anil Mehta was referred to me by casuality Medical Officer IGMC Shimla for X-ray of Scalp alongwith M LH X.ray form No. 999-1000 dated 20.12.2001. Accordingly, x-ray skull was taken under my supervision. The films are ext. PW 5/A-1 and Ext. PW 5/A-2. However, after the examination of x-ray no fracture was detected accordingly, I issued my report on Ext. PW 5/B. On MLC X-Ray form Mark 'A' which bears my signature encircled Mark 'B'.

On 20-12-2001 one Shri S.P. Bahuguna was also referred to me through C.M.O, IGMC Shimla for x-ray of left soldier joint, chest, sculp and nasal bones and x-ray of maxilla and mandible. The x-rays were taken under my supervision which are Ext. PW 5/A-3 to A-8. After examine the x-rays Ext. PW 5/A-3 to A-8, there was fracture of ramus of mandidle bone on left side and there is also cheap fracture of tuberoslity of left humerus.

Accordingly, I issued my report Ext. PW/C on MLC x-ray form Mark 'B' no. 1001-06 dated 20.12.2001 which bears my signature encircled 'C'.

The injuries are possible if scooter is struck against the person and he falls. The injury mentioned in Ext. PW 5/C on mark 'B' are grevious in injury.

X X X

It is correct that the injuries mentioned in Ext. PW 5/c i.e. fracture can not be caused by direct hit by scooter; itself stated that unless the person falls in consequence of the scooter hit. The injury aforesaid can be caused if a person falls otherwise on hard surface.

RO & AC SD/-
SD/- JM Ist. Class

A-16

PW-6 Statement of Dr. Vijay Singh Jamwal, Scientific Officer, Forensic Science Laboratary, Shimla.

On S.A.
29.7.2003

ध्यान किया कि मैं मार्च 1998 से एफ एस एल जुन्गा में बतौर वैज्ञानिक अधिकारी तैनात था । दिनांक 27.12.2001 को एक पार्सल सिल्ड जिस पर मोहरे "एच" कि लगी थी जो मुझे सी नरेन्द्र कुमार न. 985 के तहत एफ एस एल जुन्गा में प्राप्त हुआ । मोहरे सुरक्षित थी । और सेम्पल सील से मेच करती थी, जिसे खोलने पर दो बायल (छोटी शिशियां) जिसमें एक में साही राम का ब्लड व एक में यूरिन बताया था । जिसे मय सं: पी/1 व पी/2 मार्क किया गया । उपरोक्त प्रदशजों कि भली भान्ती रसायनिक जांच करने के बाद पी/1 व पी/2 में एलकोहल पाया गया । पी/1 ब्लड 97.8 एमजी परसेंट, पी/2 यूरिन 69.0 एमजी परसेंट जिस बारा मैंने रिपोर्ट जारी करी । जो Ext. पीडब्लू 6/ए है जो मेरी दस्तखती है । और डॉ भरतराज रावत कि द्वारा कॉउटर सिगनेचर है, जो हमारे इमिडियेट ऑफिसर है ।

X X X

यह ठीक है कि मैं न बता सकता हूँ कि ASAU और ARIST मेडिसिन में एलकोहल कि मात्रा 20 परसेंट होती है । मैं न बता सकता हूँ कि जिस प्रतिशत में एलकोहल Ext.पीडब्लयू 6/4 में दर्शाया है उस हालात में कोई आदमी गाड़ी चला सकता है कि नहीं । खुद कहा मेडिकल ऑफिसर बता सकता है । ब्लड और यूरिन सेम्पल हमें विदइन 24 आवरस मिल जाना चाहिए अदरवाइज इससे putrifaction के चांस हो सकते हैं और डेफिनेटली vari[redacted]ation आ सकती है ।

RO&AC SD/-
SD/- JM Ist. Class.

सेवा में,

इन्चारज पुलिस चौकी,
तौनी तहसील सोनी,
शिमला जिला ।

(B-1)

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि मैंने अपने मकान के पास एक शैड बनया हुआ था जिसके अन्दर लगभग 200 इमारती लकड़ीयां रखी थी और उस शैड के ऊपर टीन की लगभग 23-24 जी.आई. चादरें लगी थी । और वह शैड मैंने लगभग 23-24 वर्षों से बनाया हुआ था । मेरी अनुपस्थिती में वह के मैं शिमला गया हुआ था तो उस दौरान लकड़ी का बना शैड तथा उसमें रखी लकड़ी तथा चादरों समेत उठाया गया । इस बात का पता मुझे दिनांक 4.1.1985 को घर आने पर लगा । शैड के स्थान पर अब क्यारियों बनाई हुई पाई गई । जब मैंने इस के बारे में पुछ-ताछ की तो मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । इसके इलावा मेरे कमरे से दो पितल के बड़े टोकणे तथा 24 पीतल के गिलास भी गुम पाये गये जिसके ऊपर मेरा और मेरी धरवाली का नाम खुदा हुआ है । इसके इलावा एक ट्रंक, एक छोटा सुटकेस और एक फरशी हुक्का कांसे का, जमीन की पास जुकें भी कमरे से गायब पाये गये ।

मेरा पुरा विश्वास है कि ऊपर लिखी सारी वारदात में छोटा भाई घांघलू राम तथा उनके दो पुत्र श्री रोशन लाल व धर्मप्रकाश ने की है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले की पूरी छानबीन तुरन्त करने की कृपा करके उचित कार्यवाही करें ।

Enc.Pd-1/-

भवदीय
हस्ता/-
हिमा राम शर्मा (Hima Ram Sharma)
सुपुत्र श्री सरन राम शर्मा,
गांव मकड़ब्बा डा० चाबा
तहसील कुम्नी जिला शिमला

दिनांक 13 जनवरी, 1985

13.2.85. Put up to-day. A.P.P. be called for 13.2.85

Sd/- 13.2.85
S.D.M. Shimla.

Contd..2.

-13-

...लगातार..2.

वा मुकदमा स्टेट बजरीया पुलिस, पुलिस चौकी तुनी, थाना ढली

सेवा में,

वा अदालत जनाब एस.डी.एम. साहिब,
शिमला, जिला शिमला
बनाम : श्री रोशन लाल सपुत्र श्री घांघलू राम
जात ब्राहम्ण आर/ओ. मुकड़ला,
तैहसील तुनी, जिला शिमला ।

(B-2)

इस्तगासा जेरधारा 107/150 सी.आर.पी.सी.

श्री मान जी,

मुकतर हालात इस्तगासा हजा इस प्रकार है कि श्री हिमा राम सपुत्र श्री सरन राम जात ब्राहम्ण गांव मुकड़छा तैहसील तुनी जिला शिमला ने एक दरखास्त बावत नुकसेअमन अपने भतीजे श्री रोशन लाल के खिलाफ दी थी कि इसने अपने मकान के पास एक शैड बनाया हुआ था जिसके अन्दर 200 के करीब इमारती लकड़ी रखी थी ऊपर से 23-24 जी.आई. चादरें लगी थी । यह शैड इसने 23..24 साल पहले बनाया था इसकी अदम मौजूदगी में इसके भतीजे रोशन लाल ने इसका बनाया हुआ शैड उखाड़ दिया और अन्दर रखी लकड़ी तथा चादरें खुरद-बुरद कर दी जब इसने अपने भतीजे रोशन लाल को पूछा तो रोशन लाल ने इसको कोई तसली वक्त जवाब नहीं दिया इसके इलावा इसको दो पीतल के बड़े टोकणे 24 गिलास एक ट्रंक एक छोटा सुट-केश एक फर्सी हुक्का व जमीन कैपात बुकें इसके कमरे से इसने गायब पाई इसका विश्वास है कि इसका सारा सामान इसके भाई घांघलू राम तथा भतीजे रोशन लाल ने खुरद-बुरद कर दिया है ।

आमदा दरखास्त कि दरयाफत मन ए.एस.आई. ने बरसरे मौका अमल में लाई पाया गया कि श्री हिमा राम अपने परिवार सहित शिमला व करसोग में रहता था और इसकी घर कि सारी जादात मय मकान के इसके भतीजे श्री रोशन लाल के ही सपुर्द थी और रोशन लाल ने अपने ताया हिमा राम कि जमीन को अपना बनाने के लिए दरुस्ती गर्दबिरी की दरखास्त तैहसील तुनी में दे दी जब हिमा राम को इस बात का पता लगा तो इसने घर आकर अपनी जमीन 10 बीघे 2 बीसवें बेच दी इस पर रोशन लाल को इससे जीद हो गई जब कि पहले इनमें बहुत प्यार था और इकट्ठे ही रहते थे मगर अब यह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गये हैं हालात मौका व दरयाफ्त गवाहन से इस्तगासा हुआ कि कहानी दरूस्त पाई गई है । पाया गया कि श्री रोशन लाल फरीक दोयम अपने ताया हिमा राम कि जायदाद हड़पने के लिए हर सभव कोशिश कर रहा है जब हिमा राम अपने सामान को वापस मांगता है यह बाकी बची हुई जमीन पर जाने से रोशन लाल को रोकता है तो रोशन लाल इसे मार देने कि धमकी देता है अगर मुस्मी रोशन लाल सुपुत्र घांघलू राम फरीक दोयम को पाबंद जमानत व मुचलका न किया गया तो इसकी तरफ से मुस्मी हिमा राम को खतरा बना हुआ है और कभी भी किसी भी संगीन जुर्म का अंदेशा हो सकता है ।

अत: इस्तगासा जेरधारा 107/150 सीआरपीसी वा एतवार सहादत के वर खिलाफ श्री रोशन लाल सपुत्र घांघलू राम आर/ओ. मुकड़छा फरीक दोयम मुद्दरजा बाला मुरतब किया गया जो बराये समायत पेश अदालत है समायत फरमाई जाए फरीक दोयम से जमानत व मुचलका नामा माकूल अरसा के लिए तलब फरमाया जाकर पाबंद

...लगातार...3.

जमानत व मुचलका बराये हिफ्जे अमन करमाया जाए दौराने तकायत इस्तगासा करीक दोयम व बराये हिफ्जे अमन जेरधारा 116(3)सीआरपीसी भी जमानत व मुचलका पर पाबंद किये जाने का आदेश फरमाया जाए और मुलजम रोशन लाल को तलब फरमाई जाए ताकि किसी मुल्के अमन का अंदेशा न रहे

Sd/- 23.1.85
I/C P.P. Suni.

तफसील कागजात इस्तगासा जैल है

1. इस्तगासा	2. अर्जी दरखास्त	3. बयानात गवाहान	4. तलब तलिब
1 किता	1 किता		1 किता

तफसील गवाहान जैल है

1. श्री हिमा राम सपुत्र श्री सरन राम आफ, पो. कुकड़ा तहसील बड़ा-ब्रह्मौर तहसील सुनी जिला शिमला।
2. श्री दौलत राम सपुत्र श्री शिव दयाल ब्राह्मण ------- यथोपरि -------
3. श्री रिखवणा राम सपुत्र श्री गिधारी " ------- यथोपरि -------
4. श्री सुनी चन्द सपुत्र श्री केशव दत्त " ------- यथोपरि -------
5. श्री दिला राम सपुत्र श्री गिधारी " ------- यथोपरि -------
6. श्री शिव राम सपुत्र श्री देवकु राम " ------- यथोपरि -------
7. श्री इन्द्र दत्त सपुत्र श्री भवानी दत्त " ------- यथोपरि -------
8. एस.एस.आई श्री रूप लाल आई/टी. पी.पी. सुनी
9. एस.आई. फकीर चन्द एस.एच.ओ थाना दली

एस०

हस्ता/-
प्रभारी अधिकारी
पुलिस चौकी, सुनी
थाना दली, जिला शिमला
दिनांक 23.1.85

...लगातार..4.

Contd...4.

बयान अजाने श्री हिमा राम सुपुत्र श्री सरन राम आर./ओ. मुकड़छा, जात ब्राहमण
तैहसील तुनी, जिला शिमला, वै उम्र 76 साल

B-3) बयान किया कि मैं गांव मुकड़छा का रहने वाला हूं, मैं आलइण्डिया रेडियो सर्विस में मुलाजमत करता था शिमला, दिल्ली, लाहौर व पैशोर बगैरा में रह चुका हूं मैं 14 जनबरी 1989 को मैहकमा से रिटायर हुआ इसके बाद मैं कभी शिमला और कभी अपने बगीचा करसोग व कभी अपने गांव मुकड़छा में रहता रहा । मेरा भाई श्री बांघलू राम और भतीजा श्री रोशन लाल है हमारी जमीन ज्यादात का कानूनी तौर पर बंटवारा हो चुका है मगर हम दोनों भाई मैं व बांघलू राम जो मुझ से छोटा है इकट्ठे ही रहते थे और मैंने अपनी जमीन ज्यादात का कास्त हम दोनों भाई मिल कर इकट्ठे करते थे जब कि हमारी गरदावरी अलग-अलग होती थी मैंने अपनी कुछ जमीन जो मेरी खुद की खरीदी हुई है श्री तीखु राम की धर्म पत्नी श्रीमती गुलाब देई को बेच दी है इसी बात पर मेरा भाई बांघलू राम और भतीजा रोशन लाल मुझे से जिद्दबाजी रखने लगे हैं और मुझे हर प्रकार से नुकशान पंहुचाने पर अमदा हो गये हैं मैंने अपने मकान के साथ अपने खेत में 23-24 साल पहले एक ढारा बनाया था जिसमें ऊपर से 23-24 जी.आई. चादरें लगाई थी और इस ढारे में करीब 200 नग के लगभग लकड़ी इमारती शीशम और दयार कुछ कड़ जो कड़ियां तख्ते की शक्ल में थे रखे हुए थे मैं 4.1.85 को शिमला से अपने घर मुकड़छा आया तो देखा कि वहां मेरा ढारा नहीं था उस जगह क्यारियों बनी हुई थी जब मैंने इस बारा पुछ-ताछ की तो कोई भी सन्तोषजनक जुबाव न मिला फिर मैं गांव के कुछ आदमीयों को बुला कर जिनमें दौलतु राम, खेमा राम, टुनी चन्द, दिला राम, लेखु राम इन्द्रदत्त, शिव राम के सामने भाई बांघलू राम को पूछा तो भाई ने जुबाव दिया कि सारा सामान यहीं कहीं आस-पास होगा जो मिल जाएगा इतने में मेरी भतीजी प्रभा देवी वहां आई और कहने लगी कि मेरा पिता सिधा-साधा है इसको सिखा न दें खिंच कर वहां से ले गई और कोई बात न हो सकी । मेरी दो बलटोहीयां (टोकणे) जिन पर मेरी घरवाली का नाम नन्दी देवी लिखा है भी मेरे भाई के ही पास है इसके इलावा 24 पीतल के गिलास हि जिन पर मेरा अपना नाम हिमा राम लिखा है और एक फर्सी हुक्का एक ट्रंक एक छोटा सूट-केश और जमीन की पास बुकें भी जो मुझे नहीं मिली भी मेरे भाई के पास ही है यह हेरा-फेरी मेरे भाई श्री बांघलू राम तथा उनके दो पुत्र धर्म प्रकाश व रोशन लाल ने की है । पुछने पर उन्होंने यही बतलाया कि सारा सामान यहीं है मिल जाएगा मुझे अपने भाई बांघलू राम और भतीजे रोशन लाल व धर्म-प्रकाश से खतरा है कि कभी भी यह मुझे या मेरे परिवार को कोई मार-पीट करके कोई जानी या माली नुकसान पहुंचाए जब के मैंने अपनी जगह बेच दी है तो उस जगह पर रोशन लाल बगैरे दखल देते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं इसके इलावा मेरी ज्यादात में रोशन लाल बगैरह दखल देकर मेरी जमीन में से पेड़ बगैरा काट रहे हैं और मुझे नुकशान पहुंचा रहे हैं इस बारे में एक लिस्ट तैयार करके बाद में पुलिस को पेश करूंगा ।

हस्ता/-
हिमा राम शर्मा,
दिनांक : 18.1.85

RO&AC

Sd/- 18.1.85
T/C P.S. Juni.

Contd...5.

ब्यान अजराने श्री दौलत राम सुपुत्र श्री शिव दयाल जाति ब्राहम्ण आर/ओ. मुकड़छा तैहसील-सुननी जिला शिमला उम्र 48 साल हाल नम्बर पंचायत बसन्तपुर परगणा बड़ा बल्ह ।

(B-4) ब्यान किया कि मैं ग्राम मुकड़छा का रहने वाला हूं और मेम्बर पंचायत बसन्तपुर हूं 12.1.85 सुबह के तकरीबन 10 बजे है कि श्री हेमा राम मेरे पास आये और बतलाया के इनके मकान के साथ इनकी ही जमीन में एक ढारा बना हुआ था जिसमें ऊपर से जी.आई. पाईप के चादरे पड़ी थी और यह ढारा लकड़ी के खम्बों पर खड़ा करके बना हुआ था इसके अन्दर इमारती लकड़ी तख्ते व कड़ीया वगैरे तैदादी करीब 150 के लगभग काफी अरसा से इस ढारा के अन्दर रखी हुई थी जो मैंने देखी थी हिमा राम ने मुझे बतलाया कि इनका ढारा मुस्मी रोशन लाल सुपुत्र श्री घांघलू राम जो रिश्ता में इनका भतीजा लगता है ने उखाड़ कर अन्दर रखी लकड़ी तुरद-तुरद कर दी है और ऊपर पड़ी चादरें भी ले गया इस पर मैं सर्व श्री खेयुण राम, तीखू राम, शिव राम, इन्द्रदत्त, दिला राम व दुनी चन्द हम सब मौका पर गये श्री हिमा राम हमें मौका पर ले गया देखा की जहां वह ढारा बना हुआ था वहां से ढारा गायब है और वहां ढारे की जगह बमारियाँ बनी हुई है इस ढारा में रखी लकड़ी और टीन की चादरें मौजूद नही थी इस पर हम सबने हिमा राम के भाई घांघलू राम को पूछा तो घांघलू राम ने कहा कि मैं भी इसी बाप का बेटा हूं और मेरा भी कुछ हक है के नहीं जिस पर मैंने कहा कि इस बारे का मुझे कोई इलम नहीं कि कब तुम्हारी आपस में तकसीम हुई है मगर इतना जरूर जानता हूं कि यह ढारा और इसके अन्दर रखा सामान लकड़ी श्री हिमा राम का था और हिमा राम की ही जमीन में था यह ढारा आम-तौर पर खुला पड़ा रहता था और इसमें आना जाना रोशन लाल का और इसके पिता घांघलू का ही था और हिमा राम ने इनके सुपूर्द कर रखा था और खुद हिमा राम घर से बाहर रहा करते थे अब जब हिमा राम ने देखा कि इसका ढारा चादरें समेत उढ़ा लिया गया है तो इन्होंने पूछ-ताछ कि तो घांघलू ने यह बतलाया कि यह सब सामान यहीं कहीं आस-पास होगा इतने में जब हमारी बात-चीत हो रही थी तो श्रीमती प्रभा देवी सुपुत्री श्री घांघलू राम आई थी और अपने पिता को बाजू से पकड़ कर यह कह कर कि यह लोग तुमको ठग लेंगे रोहड़ू की तरफ ले गई थी पहले इन दोनों भाइयों यानी श्री हिमा राम और घांघलू राम के तालुकात बहुत अच्छे थे और एक दूसरे पर विश्वास करते थे जब कभी गांव में कोई ब्याह शादी होती थी हम रोशन लाल या इसके पिता घांघलू राम के पास जा कर टीन की चादरें की मांग करते थे तो रोशन लाल यह कहता था कि यह चादरें हिमा राम जी की है मैं बगैर पूछे नहीं दे सकता हूं । क्योंकि अब हिमा राम ने अपनी कुछ जगह श्री तीखू राम की पत्नी श्रीमती गुलाब देवी को बेच दी है जिस पर पहले घांघलू राम और इसके लड़के रोशन लाल का ही बोल-बाला था । अब इसी जमीन के कारण दोनों भाईयों के तालुकात खराब हो गये हैं और घांघलू व इसका लड़का रोशन लाल श्री हिमा राम को हर तरह से दबाने और नुकशान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि रोशन लाल वगैरा आसानी से हिमा राम का सामन इनको नहीं लौटायेंगे और इनका आपस में तनाव इस कदर बढ़ गया है के गांव में रोशन लाल वगैरा कभी भी हिमा राम को जानी और माली नुकसान पहुंचा सकते हैं ।

हस्ता/-
DAULAT RAM

ROSMC

SD/- 18.1.85
I/C P.P. Suni.

Contd...6.

खिवणा राम

ब्यान श्री ~~हिमा राम~~ सपुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राहम्ण आर/ओ. मुकइछा व उम्र 48 साल परगणा बड़ा बल्ह तैहसील सुनी जिला शिमला ।

(B-5)

ब्यान किया कि मैं ग्राम मुकइछा का रहने वाला हूं पेशा जमीनदारी करता हूं हिमा राम के मकान के साथ इन्होने अपनी जमीन में एक ढारा बनाया हुआ था जिसके नीचे इमारती लकड़ी तखते, कड़ीयां गोले आदी रखी हुई थी जो करीब 150-175 के तादाद में होगी ढारे के ऊपर टीन की चादरें डाली थी 12 तारीख को बाबू हेमा राम मेरे पास आये थे और कहा था की इनके भाई घांघलू राम और भतीजे रोशन लाल ने इनका ढारा उखाड़ दिया है और ढारे के अन्दर रखी लकड़ी खुरदबुरद कर दी है और चादरें भी ले गये हैं इसके चार-पांच दिन पहले मैंने अचानक देखा तो ढारा उखड़ा हुआ था मैंने इस बारा में किसी से भी कोई बात-चीत नहीं करी। जब बाबू हिमा राम ने मुझे बतलाया और मौका पर चलने को कहा तो मैं दौलतराम, मेम्बर पंचायत, टुनी चन्द तीखू राम इन्द्रदत्त, शिव राम व दिला राम हम सब श्री हिमा राम जी के उस ढारे वाली जगह गए जहां पहले ढारा था मगर जो उखाड़ दिया गया है कि जगह क्यारियां बनी हुई देखी ढारे का कोई भी नामों-निशान नहीं है अन्दर रखी लकड़ी व टीन बगैरा भी मौका पर मौजूद न मिली तो श्री हिमा राम ने अपने भाई घांघलू राम को पूछा कि यह ढारा किसने उखाड़ा और लकड़ी बगैरा कहां गई जिस पर घांघलू राम ने कहा यहीं कहीं आस-पास होगी मिल जाएगी इतने में घांघलू की लड़की प्रभा देवी आई और कहने लगी कि तू सीधा साधा है और ये लोग तुझे ठग लेंगे बाजू से पकड़ कर अपनी रसोई में ले गई और फिर हम सब अपने अपने घर चले गये थे हिमा राम के पास दो बड़ी-बड़ी बटलोहीयां भी मैंने देखी हैं जो शादी ब्याह के दौरान सारे गांव में इस्तेमाल होती थी हिमा राम और घांघलू राम आपस में सगे भाई हैं पहले इनका आपस में बहुत प्यार था मगर अब श्री हिमा राम ने अपनी जमीन थोड़ी सी बेच दी है इसी बात पर अब घांघलू व इसका लड़का रोशन लाल श्री हिमा राम से जिद रखने लगे हैं क्योंकि इस जमीन पर पहले इनका ही बोल-बाला था और इस जमीन से यही फायदा उठाते थे जो अब बन्द हो गया है यही मतलब है कि इन दोनों परिवारों में अन-बन रहने लगी है और दिन पर दिन यह झगड़ा ज्यादा फैलता जा रहा है इस सुरत में कानूनी कारवाई कि जानी जरूरी है नहीं तो यहां कोई जानी-या-माली नुकशान भी हो सकता है

हस्ता/-
खिवणा राम

ROS&AC

Sd/- 18.1.85
I/C P.P. Suni.

Contd...7.

(B-6)

ब्यान अजाने श्री टुनी चन्द सपुत्र श्री केशव दत्त जात ब्राहम्ण आर/ओ. मुकडछा परगना बड़ा बल्ह तेहसील सुनी जिला शिमला व उम्र 39 वर्ष ने ब्यान किया मैं गांव मुड़छा का रहने वाला व पेशा - जमीनदारी करता हूं श्री हिमा राम और घांघलू राम को जानता हुं इनके मकान तो अलग-अलग हैं मगर रहन-सहन इकट्ठा है श्री हिमा राम ज्यादातर शिमला व करसोग बगैरा में रहते हैं कभी-कभी अपने घर गांव मुकड़छा आते-जाते रहते हैं यहां पर इनकी जमीन और मकान है काफी अरसा पहले करीब जब से मैंने होश संभाला है श्री हिमा राम के मकान के साथ इनकी ही जमीन है एक खुला ढारा बना हुआ देखा है जिस पर ऊपर से टीन कि चादरें पड़ी थी और इसके अन्दर इमारती लकड़ी तख्ते व कड़ीयां बगैरे रखी थी जब कभी शादी ब्याह में हम रोशन लाल बगैरा से टीन की चादरों कि मांग करते थे तो ये जुबाब मिलता था कि यह चादरें बाबू हिमा राम कि हैं हम उनके बगैर पूछे नहीं दे सकते हैं इससे मैं समझता हूँ कि ये ढारा और इसके अन्दर रखा सामान लकड़ी बाबू हिमा राम का था अरसा करीब 10-12 दिन पहले का जिकर है कि जब मैंने देखा तो रातों-रात यह ढारा उठा लिया था और यहां क्यारियों बन चुकी थी ढारे का सामान कौन ले गया यह भी इलम नहीं मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिया मगर 12.1.85 कि सुबह हिमा रामं जी मेरे घर आये और बतलाया कि मेरे ढारे को रोशन लाल बगैरा ने उखाड़ दिया है और अन्दर रखा सामान भी खुरद-बुरद कर दिया है और कहा कि चलो मौका पर और घांघलू राम और रोशन लाल बगैरा को पूछें तो मैं और गांव के 5-6 आदमी श्री हिमा राम के साथ इनकी जमीन पर जहां पहले ढारा बना था गये थे तो ढारा वाली जगह क्यारीयां बनी देखी तो हिमा राम ने अपने भाई घांघलू राम को पूछा था कि मेरा ढारा और इसके बीच रखा सामान कहां गया तो घांघलू ने बतलाया था कि सारा सामान यहीं आस-पास होगा जो मिल जाएगा इतने में मुस्मात प्रभा देवी सपुत्री श्री घांघलू राम वहां आई थी और अपने पिता घांघलू राम को यह कह कर कि यह लोग मुझे ठग लेंगे बाजू से पकड़कर अपनी रसोई की तरफ ले गई थी । हम सब चाहते थे कि इनकी भाई-भाई की बात है इनका सामान इनको मिल जाता मगर घांघलू राम और रोशन लाल हमारे पास नहीं आये और न ही हमारी कोई बात सुनी पहले इन दोनों भाई में बहुत प्यार था और हिमा राम ने अपनी ज्यादात इनके ही हवाले कर रखी थी कभी किसी बात के लिए रोक-टोक नहीं करते थे मगर श्री हिमा राम ने अपनी कुछ जमीन श्री तीखू राम ग्राम मुकड़छा की घरवाली श्रीमती गुलाब देई को बेच दी है इसी बात पर घांघलू राम व इसके लड़के रोशन लाल बगैरा का ही बोल-बाला था जब इन्होंने इस जमीन को जाते देखा तो श्री हिमा राम को हर तरह से नुकशान पहुंचाने कि कोशिश शुरू कर दी। दो चावल बगैरा बनाने कि पीतल की बलओहीयां जिन पर श्रीमती नन्दी देवी पत्नी श्री हिमा राम का नाम लिखा हुआ है भी मैंने हिमा राम के घर देखी थी जो शादी ब्याह में सारे गांव में इस्तेमाल की जाती थी और यह बलटोहीयां कभी श्री हिमा राम और कभी इसके भाई श्री घांघलू राम के पास होती थी अब यह बेइमानी से हिमा राम के सामांन को हजम करना चाहते हैं और दिन पर दिन इनके आपसी तालूकात खराब होते जा रहे हैं हम गांव के लोगों ने कई दफा रोशन लाल बगैरा को समझाने कि कोशिश करी मगर यह बाज नहीं आया अगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कारवाई न की गई तो हो सकता है इनका यह झगड़ा कोई ज्यादा भंयकर रूप धारण कर ले और कोई जानी या माली नुकसान हो जाए ।

हस्ताधर
टुनी चन्द शर्मा

ROSIO

Sd/- 18.1.85
I/C P.P. Suni

इसका लड़का रोशन लाल हिमा राम से जीद रखने लगे हैं क्योंकि जो जमीन हिमा राम ने बेची है इस पर पहले घांघलू राम ने

ब्यान अजाने श्री दिला राम शर्मा सपुत्र श्री विद्याधर शर्मा, जाति ब्राहम्ण आर/ओ. कुकड़छा परगणा बड़ा बल्ह तैहसील सुनी जिला शिमला व उम्र 42 साल हाल बतौर अध्यापक प्राथमिक पाठशाला बसन्तपुर ।

(B-7) ब्यान किया कि 12.1.85 कि सूबह के समय श्री हिमा राम मेरे मकान पर आया था और कहा था कि मेरा ढारा व इसके अन्दर रखी लकड़ीयां व वर्तन वगैरा मेरे भाई घाँघलू राम व भतीजे रोशन लाल ने बुरद-बुरद कर दी है यह ढारा मैं जानता हूं काफी सालों का बना हुआ था और इसके अन्दर इमारती लकड़ी दयार सीशम बगैरा के तखते कड़ीयां व गोले रखे हुए थे ऊपर से जी.आई. पाईप की चादरें लगी थी यह ढारा रोशन लाल बगैरा कि देख-रेख में रहता था जब कभी शादी-व्याह में जरूरत होती थी तो चादर मांगने जाते थे तो रोशन लाल बगैरा यह कहते थे कि यह चादरें बाबू हिमा राम कि है हम उनकी बगैर मर्जी से नहीं दे सकते हैं जब हिमा राम जी मेरे पास आये तो मैं गांव के चन्द आदमीयों के साथ मौका पर गया तो देखा कि जहां ढारा बना हुआ था वहां क्यारियां बनी हुई हैं ढारा टीन व इसके अन्दर रखी लकड़ी गायब थी तो हिमा राम ने अपने भाई घाँघलू राम को पूछा था कि मेरा ढारा किसने उखाड़ा तो घांघलू राम ने कहा था कि सामान लकड़ी बगैरा यहां आस-पास है मिल जाएगी इतने में घांघलू की लड़की प्रभा देवी आई और कहने लगी कि तू सीधा-साधा है यह लोग तुझे ठग लेंगे जो अपने पिता को पकड़ कर रसोई की तरफ ले गई इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकी हम लोग सब अपने अपने घरों में चले गए पहले इन दोनों भाइयों के तालूकात बहुत अच्छे थे और रहन-सहन इकट्ठा था मगर अब हिमा राम ने अपनी कुछ जमीन [redacted] श्री तीखू राम की धर्म पत्नी श्रीमती गुलाब देई को बेच दी है इसी बात पर इनके आपसी तालुकात खराब हो गये क्योंकि पहले इस जगह की घास पती व फसल बगैरा का फायदा रोशन लाल बगैरा ही उठाते थे और हिमा राम वगैरा आम तौर पर शिमला व करसोग वगैरा में रहते थे और अपनी तमाम ज्यादात रोशन लाल वगैरा के हवाले कर रखी थी यही कारण है कि इन कि आपस में अन-बन हो गई और दिन व दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है इससे नुकशे-अमन का भी अंदेशा है ।

हस्ताक्षर 18.1.85
दिला राम शर्मा

RO&AC

Sd/- 18.1.85
I/C P.P. Suni

Contd..9

ब्यान अजाने श्री शिव राम सपुत्र श्री देतकु राम जात ब्राहम्ण आर./ओ. मुकइछा तैहसील सुनी जिला शिमला व उम्र 56 साल हाल बतौर मुलाजम स्टोरकीपर चाबा ~~पावर हाऊस~~। पावर हाऊस ।

B-8)

ब्यान किया कि मैं गांव मुकइछा का रहने वाला हूँ और चाबा पावर हाऊस में मुलाजमत करता हूं 12.1.85 कि सुबह श्री हिमा राम मेरे पास आया था और कहा था कि इसका एक ढारा और उसमें रखी लकड़ीयां गायब हो गई है जिस पर मैं गांव के 5-6 आदमीयों के साथ मौका पर गया तो वहां पर वह ढारा नहीं था और न ही लकड़ीयां थी मगर क्यारीयां वगैरा बनी हुई देखी । हिमा राम ने अपने भाई घांघलू राम को पूछा कि मेरा ढारा किसने उखाड़ा है और लकड़ी कहां गई इस पर घांघलू राम ने जवाब दिया था कि यहां कहीं आसे-पासे होंगी मिल जाएगी और हिमा राम ने घांघलू राम को यह भी कहा कि आगे के लिए मेरी जमीन में हल मत चलाना इतने में एक लड़की मुस्मात प्रभा देवी आई और अपने पिता को बाजू से पकड़ कर ले गई । मैं जानता हूं पहले इनके तालूकात बहुत अच्छे थे मगर अब हिमा राम ने अपनी जगह बेच दी है इस कारण इनके आपसी तालूकात खराब हो कर अन-बन हो गई है इन दोनों के तालूकात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि गांव में कभी भी कोई आदेश नुकसे अमन हो सकता है ।

ROSAC
Sd/- 18.1.85
I/C P.P. Suni.

हस्ताक्षर 18.1.85
शिव राम शर्मा

ब्यान अंजाने श्री इन्द्र दत्त सपुत्र श्री भवानी दत्त जात ब्राहम्ण आर/ओ. मुकइछा परगणा बड़ा बल्ह तैहसील सुनी जिला शिमला व उम्र 55 साल हाल मुलाजम बतौर लाईनमैन चाबा पावर हाऊस एचपी एसईबी में काम करता हूं ।

B-9)

ब्यान किया कि मैं चाबा पावर हाऊस में बतौर लाईन मैन के काम करता हूं श्री हिमा राम और इनके भाई घांघलू राम को जानता हूं यह दोनों सगे भाई हैं और इनका रहन-सहन एक ही था यानी कि इकट्ठे ही रहते थे मगर अब कुछ दिनों से इनकी आपस में अन-बन है । 12.1.85 कि सुबह श्री हिमा राम मेरे घर आये थे और कहा था कि इनका एक ढारा और उसमें रखी लकड़ीयां गायब है जिस पर मैं और 5-6 आदमी गांव के थे मौका पर गये तो वहां ढारा नहीं था न ही लकड़ीयां थी मगर क्यारीयां वगैरा बनी देखी इतने में हिमा राम ने अपने भाई घांघलू राम को पुछा था कि मेरा ढारा कितने उखाड़ा और लकड़ी कहां गई इस पर घांघलू राम ने जुवाब दिया था कि यहीं कहीं आसे-पासे होगी जो मिल जाएगी और हिमा राम ने घांघलू राम को यह भी कहा कि आगे के लिए मेरी जमीन पर हल न चलाना इतने में एक लड़की आई जो कहने लगी कि उससे क्या पूछता है और अपने पिता घांघलू राम को रसोई में ले गई क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले इनके तालूकात बहुत अच्छे थे मगर अब हिमा राम ने अपनी कुछ जगह बेच दी है जिस कारण इनके तालूकात खराब हो कर आपस में अन-बन हो गई है । इन दोनों के तालूकात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि गांव में कभी भी कोई आदेश नुकसे अमन हो सकता है ।

RO & AC
Sd/- 18.1.85
I/C P.P. Suni.

हस्ताक्षर
इन्द्र दत्त शर्मा

Contd - 10

ब्यान श्री हिमा राम सुपुत्र श्री सरन राम ग्राम कड़छा परगणा वड़ा कलां तैहसील सुनी उम्र 76 साल

शपथ

16.7.85

(-10)

मैंने एक रिपोर्ट 12 जनवरी को लिखाई थी जिसमें लिखा था कि मेरी चोरी हुई है । इसकी छान-बीन कराई जावे । अब मुझे मालूम हुआ कि यह केस पुलिस ने 107/150 सीआरपीसी का बनाया है जब कि केस चोरी का था । इसके बाद प्रतिवादी के साथ मेरा समझौता हुआ था जिसकी फोटोस्टेट कापी इ. एक्स. पी. 1 है । यह एग्रीमैन्ट न प्रतिवादी को मन्जूर है और न ही मुझे । यदि प्रतिवादी ने चोरी न की थी तो उन्होंने ऐन्टीसीपेटरी बेल क्यों करवाई । इस केस में मैंने जो चोरी बारे दरखास्त दी थी उसकी छान-बीन करवाई जाए । ये लोग मुझे हर तरह से दबाते हैं । कभी कहते हैं कि बुढ़े की मत मारी है इतने जेल में मरना है । इस केस में मेरी किसी ने कोई इमदाद न की मैं पुलिस के पास भी काफी चिल्लाया

× × × × ×

दरखास्त इ. एक्स.पी.डब्लीयू. आई/ए. है जो मेरी हस्ताक्षर कर्ता है जो मैंने देख ली है । इस झगड़ा के बारे में मैंने सारे गाँव वालों को बुलाया जिनमें दौलत राम, खिवेगा, शिव राम, इन्द्र दत्त दुनि चन्द व अपने छोटे भाई को जिसका नाम घांघलू राम है बैठाया मेरे भाई ने कहा कि सामन मेरे पास कोई सामान गुम न होगा । मैंने अपने सामान बारे पूछा तो कहा कि सामान मेरे पास है घबराओ नहीं । मीटींग से मेरे भाई को बात-चीत के दौरान उसकी घरवाली उठाकर ले गई । मेरा ब्यान पुलिस में हुआ था ।

× × × × ×

मेरे को धमकी सभी देते है । मैं तारीख मास नहीं बता सकता धमकी सबके सामने दी । मैं नाम नहीं बता सकता । इ. एक्स. पी.-1 की मार्क ए. पर मेरे दस्तखत हैं । जिसे मैं शनाख्त करता हूँ । रोशन लाल के भी दस्खत हैं । दस्खत सबके सामने हुए । यह ठीक है ऐग्रीमैन्ट हम दोनों फरीकैन की रजामंदी से हुआ था । हमने इस पर दस्तखत पढ़ कर किये थे । ऐग्रीमैन्ट में सामान की शर्त पूरी न हुई है बाकी शर्तें पूरी हो गई । मेरे को दो टोकरी शील बटा व चकी मिली है । चादरें 13 नग दिये हैं । बाकि 11 नग बाकी हैं लकड़ी मैंने कोई न ली है अलबता लकड़िया प्रतिवादी ने मकान के अन्दर मेरी गैर-हाजरी में डाली जो 10-12 टोटे हैं कुल लकड़ी 210 नग तथा 60 लकड़िया और प्रतिवादी ने चिराई थी । मैंने लकड़ियां 1955-56 तथा कुछ ही साल पहले चिराई थी । यह ठीक है कि एग्रीमैन्ट पी-1 वाले दिन जब सामान देने प्रत्यार्थी आया था तो गांव का दौलत राम, सुख राम नोख राम वहाँ थे लिस्ट कोई न बनी जब कि पी-1 ऐग्रीमैन्ट में लिखा था कि लिस्ट आफ . ए आर्टीकल्स बनाई जावे । यह गलत है कि प्रतिवादी धमकी न देते हैं । यह गलत है कि मैंने झूठा केस बनाया है यह ठीक है कि हमारा खाता पहले सुशतरका था । मुझे पता न है कि 1955 में घांघलू राम को 6 पेड़ मिले थे । चादरें कब ली थी याद नहीं

Sd/-
(Hima Ram Sharma)

R.O.& A.C.

Sd/- 16.7.85
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla-Suni Sub-Division.

-22-